न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 19/2022

बउनवान

1. रमेशचंद उम्र 54 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति किराड़, निवासी गदरेटा, तहसील शाहाबाद, जिला बारां (राज0)
2. महेश उम्र 46 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति किराड़, निवासी गदरेटा, तहसील शाहाबाद, जिला बारां (राज0)
3. कल्याण, उम्र 58 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति किराड निवासी बेंटा, तहसील शाहाबद, जिला बारां (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. बृजमोहन उम्र 42 वर्ष पुत्र श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
2. देवीलाल उम्र 39 वर्ष पुत्र श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
3. रामकली उम्र 59 वर्ष पुत्री श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
4. सरबदी उम्र 57 वर्ष पुत्री श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
5. चिन्जो उम्र 54 वर्ष पुत्री श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
6. मालती उम्र 48 वर्ष पुत्री श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
7. रामसुखी उम्र 51 वर्ष श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
8. फूलवती उम्र 45 वर्ष पुत्री श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)
9. लूमाबाई उम्र 80 वर्ष पत्नि स्व. श्री नन्दलाल, जाति किराड़, निवासी कलोनिया, तहसील शाहबाद, जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 आर.टी एक्ट धारा–24 सी.पी.सी. व धारा– 151 सी.पी.सी. बमुकदमा दावा संख्या 20/2017 अंतर्गत धारा [illegible] न्यायालय उप–खण्ड अधिकारी, शाहाबाद बउनवानप बृजमोहन वगै0 बनाम रमेशंचद वगै[illegible] पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट मुकदमा संख्या 08/2017 न्यायालय उपखण्ड अ[illegible] वगै0 बनाम रमेशचंद वगैरह

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौत[illegible] अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2. श्री ओम प्रकाश मेहता द्वितीय, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आदेश दिनांक– 18.07.2023

1— प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा–183, 188 आर.टी. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम गदरेटा, तहसील–शाहबाद में आराजी खसरा नं0 345 रकबा 0.07 बीघा अप्रार्थीगण/वादीगण के पिता नंदलाल के खाते, कब्जे, स्वामित्व की है। नंदलाल का स्वर्गवास हो गया है। अप्रार्थीगण/वादीगण उसके वारिस है। इस भूमि पर कच्चा कोट पत्थरों से हो रहा है, जिसे अप्रार्थीगण/वादीगण पक्का कराने के लिए नींव खुदवा रहे थे। इसी बीच प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर बिना किसी अधिकार के विवादित भूमि से वादीगण/अप्रार्थीगण को बेदखल करने की नीयत से दिनांक 17.06.2017 को जे.सी.बी. मशीन लेकर विवादित आराजी पर पहुंच कर आगे के हिस्से पर नींव खुदवाने लगे तो पता लगने पर वादी क्रम–1 व 2 मौके पर गये और प्रतिवादीगण से नींव खोदने से मना किया, लेकिन वह नहीं माने, इसके बाद वादीगण ने पुलिस में रिपोर्ट की जब रूके, लेकिन दिनांक 18.06.2017 को प्रतिवादीगण ने नींव भर कर चुनाई कार्य चालू कर दिया है। वादीगण के मना करने पर भी काम बंद नहीं कर रहे हैं एवं धमकी देकर रह रहे हैं कि हम पूरी जमीन पर कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में दखलअंदाजी करने एवं वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से बेदखल किये जाने का खतरा पैदा हो गया है, जिसमें प्रतिवादीगण कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के तथा विवादित भूमि के आगे के हिस्से पर प्रतिवादी द्वारा किये गये निर्माण को हटवाकर बेदखल करवाने एवे कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं। इसी के साथ एक अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या– 08/2017 प्रस्तुत कर ताफैसलाा दावा अस्थायी निषेधाज्ञा वादीगण/अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने का निवेदन किया। यह वाद एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। उक्त वाद में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने जवाब में काउंटर क्लेम दिनांक 04.03.2021 को प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने लंबित किया हुआ है। न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एक वर्ष से अधिक अवधि तक अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है। उक्त विवादित भूमि पर प्रकरण लंबित होने का लाभ उठाकर वादीगण/अप्रार्थीगण जबरन पुलिस प्रशासन व ताकत के बल पर असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर कब्जा करने को आमादा हैं। इस हेतु प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने पुलिस अधीक्षक बारां, उपखण्ड अधिकारी शाहबाद से कई बार निवेदन किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी प्रकरण में समुचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी वादीगण/अप्रार्थीगण से मिले हुए है। प्रकरण में पेशीयों पर अप्रा[illegible] होते है और पीठासीन अधिकारी से अवकाशागार में एक–एक घंटे तक बैठकर बा[illegible] हैं। इस कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के आचरण के विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम– [illegible] कार्यवाही अंतर्गत धारा–221 राजस्थान काश्तकारी कानून के अंतर्गत माननीय राजस्व मण्[illegible], अजमेर में प्रार्थना पत्र क्रमांक 2439/2022 प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने दिनांक 30.05.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को एक माह के अंदर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश प्रदान किया साथ ही यह सभी आदेश प्रदान किया कि तारीख पेशी पर बहस के लिए उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलक्टर

नहीं होने की स्थिति में प्रकरण में तीन दिन की तारीख पेशी नियत की जावे, साथ ही द्वितीय पेशी पर भी पक्ष उपस्थित नहीं हो, उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही संस्थित की जाकर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें, परन्तु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 30.05.2022 की पालना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से आगामी पेशी दिनांक 20.07.2022 नियत की है, जिससे भी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई आशा नहीं है। उक्त कारणों से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण उक्त मूल वाद व प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचारण नहीं करवाना चाहते हैं तथा न्यायालय श्रीमान के आदेश से अन्य किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय शाहबाद में लंबित प्रकरण संख्या 20/2017 अंतर्गत धारा – 183, 188 आर.टी एक्ट व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 212 संख्या 08/2017 बउनवान बृजमोहन वगैरह बनाम रमेश वगैरह आगामी पेशी दिनांक 20.07.2022 को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा न्यायालय उपजिला कलक्टर, शाहबाद से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि वादी के द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पत्थर का कोट हो रहा है। विवादित भूमि गै. मु. चट्टान है। वादी व प्रतिवादी राजस्व भूमि को लेकर विवाद में है। प्रतिवादी स्थायी निवासी नही है, और वादी के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए जवाब दावा वाद प्रार्थना पत्र पेश किया है, लेकिन स्थायी निषेधाज्ञा पर कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण उक्त मूल वाद व प्रार्थना पत्र को अयन्त्र न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है। वादी व प्रतिवादी राजस्व भूमि गै.मु. चट्टान को लेकर विवाद में है, उक्त पत्रावली को प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प गदरेटा में राजीनामा के लिए भी रखी गई लेकिन राजीनामा नही हुआ पत्रावली को लौटाई गई, पत्रावली की तनकी बनाई जाकर उभयपक्ष को सुनाई गई और पत्रावली को साक्ष्य वादी के लिए पेश किया गया है।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

उक्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी वादीगण/अप्रार्थीगण से मिले हुए है। इस कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय के आचरण के विरूद्ध प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम– 01 रमेशचंद ने एक कार्यवाही अंतर्गत धारा–221 राजस्थान काश्तकारी कानून के अंतर्गत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में

न्यायालय जिला कलेक्टर

प्रार्थना पत्र क्रमांक 2439/2022 प्रस्तुत किया था। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने दिनांक 30.05.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को एक माह के अंदर प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश प्रदान किया गया। परंतु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 30.05.2022 की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय शाहबाद में लंबित प्रकरण संख्या 20/2017 अंतर्गत धारा – 183, 188 आर. टी एक्ट व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 212 संख्या 08/2017 बउनवान बृजमोहन वगैरह बनाम रमेश वगैरह आगामी पेशी दिनांक 20.07.2022 को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने ऐसे किसी उचित कारण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद का स्थानान्तरण हो गया है। अतः खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया जिससे साबित हो कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के प्रभाव में हों। पीठासीन अधिकारी तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी शाहबाद का स्थानान्तरण हो चुका है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.05 13:57:20 IST
Reason: SelfAttested